

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 20/03/2026

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में चतुर्थ किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

“औपचारिक
रूप
सेपरामर्शित”

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

आदेश :- स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भमें कहना है कि RTE Act 2009 के अनिवार्य प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाना है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में सर्वशिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) एवं शिक्षक शिक्षा (TE) योजनाओं के एकीकृत कर Pre-School से कक्षा XII तक के लिए एक नयी योजना, “समग्र शिक्षा अभियान” संचालित किया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के Project Approval Board (PAB) की बैठक दिनांक 01.04.2025 को सम्पन्न हुई। प्राप्त कार्यवाही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान के लिए कुल ₹982955.42 लाख (अठानवे अरब उनतीस करोड़ पचपन लाख बियालीस हजार) रुपये मात्र का बजट स्वीकृत किया गया है। (PAB) की कार्यवाही की कंडिका 2 में अंकित किया गया है कि वर्ष 2025-26 में भारत सरकार के द्वारा वास्तविक रूप से कुल ₹445650.00 लाख (चौवालीस अरब छप्पन करोड़ पचास लाख) रुपये मात्र विमुक्त किया जाएगा, जिसमें से ₹379085.44 लाख (सैंतीस अरब नब्बे करोड़ पचासी लाख चौवालीस हजार) रुपये मात्र प्रारंभिक शिक्षा के लिए केन्द्रांश के रूप में निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र एवं राज्य के हिस्सेदारी 60:40 है।

3. राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, सैदपुर, पटना के पत्रांक 1632 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा राशि की विमुक्ति के संबंध में पत्र उपलब्ध कराया गया है।

4. विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं विमुक्ति आदेश संख्या 164 दिनांक 12.08.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में प्रथम किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹8,93,56,73,000/- (आठ अरब तिरानवे करोड़ छप्पन लाख तिहत्तर हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹5,95,71,15,332/- (पाँच अरब पंचानवे करोड़ इकहत्तर लाख पन्द्रह हजार तीन सौ बतीस) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में, विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-227 दिनांक 08.10.2025 द्वारा समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में द्वितीय किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹8,92,66,97,000/- (आठ अरब बेरानवे करोड़ छियासठ लाख संतानवे हजार) रुपये

मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹5,95,11,31,333/- (पाँच अरब पंचानवे करोड़ ग्यारह लाख एकतीस हजार तीन सौ तैतीस) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-338 दिनांक 31.01.2026 द्वारा समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में तृतीय किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की गयी है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में चतुर्थ किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान किया जाना है।

6. अतएव उक्त परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में चतुर्थ किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में व्यय के लिए स्वीकृति एवं विमुक्ति का प्रस्ताव है।

अतः वित्तीय वर्ष 2025-26 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत केन्द्रांश मद में चतुर्थ किस्त की राशि के रूप में प्राप्त ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र एवं इसके विरुद्ध राज्यांश की राशि ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र की सहायक अनुदान मद में व्यय के लिए स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

1. समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्रांश मद में ₹9,47,71,35,000/- (नौ अरब सैंतालीस करोड़ एकहत्तर लाख पैंतीस हजार) रुपये मात्र के व्यय का विकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-111 सर्व शिक्षा अभियान, उप शीर्ष-0201-सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) (समग्र शिक्षा), विपत्र कोड-21-2202011110201 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0201-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹7,35,71,00,000/- (सात अरब पैंतीस करोड़ एकहत्तर लाख) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0203-सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा),

विपत्र कोड-21-2202017890203 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0203-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹1,94,56,56,000/- (एक अरब चौरानबे करोड़ छप्पन लाख छप्पन हजार) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0211-प्राथमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान) (समग्र शिक्षा), विपत्र कोड-21-2202017960211 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0211-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹17,43,79,000/- (सतरह करोड़ तैतालीस लाख उनासी हजार) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

II. समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राज्यांश मद से ₹6,31,80,90,001/- (छः अरब एकतीस करोड़ अस्सी लाख नब्बे हजार एक) रुपये मात्र के व्यय का विकलन निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

(क) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-111 सर्व शिक्षा अभियान, उप शीर्ष-0301-सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) (समग्र शिक्षा), विपत्र कोड-21-2202011110301 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0301-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹4,90,47,33,334/- (चार अरब नब्बे करोड़ सैंतालीस लाख तैंतीस हजार तीन सौ चौतीस) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0308-सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०) (समग्र शिक्षा), विपत्र कोड-21-2202017890308 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0308-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹1,29,71,04,000/- (एक अरब

डनतीस करोड़ इकहत्तर लाख चार हजार) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

(ग) वित्तीय वर्ष 2025-26 में आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उप शीर्ष-0309-सर्व शिक्षा अभियान (समग्र शिक्षा), विपत्र कोड-21-2202017960309 पी०एफ०एम०एस० कोड-3667 के विषय शीर्ष 0309-31-06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में ₹11,62,52,667/- (ग्यारह करोड़ बासठ लाख बावन हजार छः सौ सड़सठ) रुपये मात्र का विकलन उपबन्धित राशि में से किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के निस्ताराधीन होगी। राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा बिहार, पटना द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड-2011 के नियम 270 के अनुसार बी०टी०सी०फॉर्म 42 पर पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर नया सचिवालय, विकास भवन, पटना कोषागार से किया जायेगा तथा

निम्नलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृत राशि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के संबंधित खाते में CFMS 2.0 Mode या NEFT/RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा:-

Sl. No	Budget Code	Subject Head	Central Share (in Rs)	A/c. Name	Account Number	IFSC	Bank Name & Branch Name
01	21-2202011110201	31-06	7357100000	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate
02	21-2202017890203	31-06	1945656000	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate
03	21-2202017960211	31-06	174379000	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate
Sl. No	Budget Code	Subject Head	State Share (Corrospounding 40% of Central Share) (in Rs)	A/c. Name	Account Number	IFSC	Bank Name & Branch Name
01	21-2202011110301	31-06	4904733334	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate
02	21-2202017890308	31-06	1297104000	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate
03	21-2202017960309	31-06	116252667	BEPC-Samagra Shiksha-Bihar	40385607280	SBIN0000153	State Bank of India, Patna Secretariate

8. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र (बी०टी०सी० फॉर्म 42 A पुनरीक्षित) में निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना एवं निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी की जाएगी।

10. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के कंडिका 3 और कंडिका 5 (क) (ii) के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

12. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

13. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-8/वि०3-32/2023 के पृष्ठ 120-122/टि० पर दिनांक 20.03.2026 को प्राप्त है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप एवं प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव।

ज्ञापांक-8 / वि०3-32 / 2023..... / पटना, दिनांक-..... /
प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक-8 / वि०3-32 / 2023..... / पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग,
बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक
शिक्षा, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (योजना शाखा), शिक्षा विभाग, बिहार,
पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-


उप सचिव।

ज्ञापांक-8 / वि०3-32 / 2023..... / पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि-उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन-सह-बजट
पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-05, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना एवं लेखा
शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियो में I.T. Manager शिक्षा विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक-8 / वि०3-32 / 2023.....³⁹⁴ / पटना, दिनांक-...^{20/03/2024}
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, पटना, को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


उप सचिव।